उंकाला रोड सीसी फोरलेन का कार्य जल्द चालू कराने की मांग

जिलाधीश, शहर विधायक चेतन्य कश्यप व निगम आयुक्त को लिखा पत्र

रतलाम। शहर में चल रहे तेजी से विकास कार्यों पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी पर अंकुश लगा रहे है। शहर में चल रहे विकास कार्य बंद चालू बिजली की तरह चल रहे है। इन पर ना कोई ध्यान दे रहा है ना ही जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उंकाला रोड स्थित बन रहे। सीसी फोरलेन का है जो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है।

उंकाला रोड के रहवासियों को प्रतिदिन खराब एवं धूल भरी सड़क से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं नगर के प्रसिद्ध उंकाला रोड स्थित खड़े गणेश जी का मंदिर है वहा तक जाने के लिए प्रतिदिन भक्तो को निम्न समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस सीसी फोर लेन से करीब 4-5 किलोमीटर दूरी से नेशनल हाईवे गुजर रहा है। हाईवे से शहर में प्रवेश के लिए कई मार्ग है किन्तु उनके से एक मुख्य मार्ग उंकाला रोड है जिससे रतलाम शहर में प्रवेश किया जा सकता है। यह मार्ग बनने से शहर के अन्य मार्ग से जाने वाली सड़कों पर बोझ कम होगा। जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। जिससे घटना दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। किन्तु जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाकर कार्य को दिन प्रतिदिन विलंब से कर रहे हैं। बताया जाता है कि रोड बनाने के लिए रहवासियों के द्वारा बार बार आंदोलन एवं रोड पर चक्का जाम किया गया है। किन्तु प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। सीसी फोर लेन का कार्य कई माह से चल रहा है। किन्तु इनको समय सीमा में पूरा करना तो दूर अब और मुसीबत को खड़ा कर दिया है। रहवासियों ने बताया कि बारिश के पहले यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए ताकि इस रोड से आवागमन करने वालो को कोई समस्या न आ पाएं। बारिश के कारण यहां कीचड़ भरी रोड से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिलाधीश एवं निगम आयुक्त व विधायक चेतन्य कश्यप से निवेदन है कि जल्द जल्द कारेवाई कर काम चालू करवाना का कष्ट करे।

इन्दौर समाचार 22-5-21

कंटेनमेंट जोन तोड़कर बाहर आए 12 लोगों पर एफआईआर

कलेक्टर ने निगरानी के लिए राजस्व टीम तैनात की

भास्कर संवाददाता | रतलाम

संक्रमण को काबू करने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन को तोड़कर बाहर निकल आए 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। इतना ही नहीं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कंटेनमेंट एरिया पर नजर रखने के लिए राजस्व अमले को तैनात कर दिया है। अब कंटेनमेंट तोड़ने वालों को समझाइश नहीं दी जाएगी। सीधे पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर कुमार ने बताया शनिवार से गली, मोहल्लों, कॉलोनियों में समूह बनाकर बैठने और घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए रोजाना सुबह और शाम को अफसरों की टीम वाहनों से फ्लैग मार्च कर रही है।

9 और इलाकों में कंटेनमेंट बनाए, अब शहर में 139 जोन

शुक्रवार को शहर के 9 और इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इनके सहित अब शहर में 139 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं, जो 11 मई से 21 मई तक बनाए गए हैं। शुक्रवार को श्रीमालीवास, मोहन नगर, हाथीखाना, रामदेवजी की घाटी, करण नगर, गांधी नगर, हिम्मत नगर, महेश नगर और आंबेडकर नगर में जोन बनाए गए।

भास्कर 22-5-

अस्थायी खाद्यान्न पर्ची : 3651 आवेदन आए, जोन 4 में 1072

रतलाम | महामारी रोकने चल रहे कोरोना कर्फ्यू में गरीब परिवारों को खाने की तकलीफ न हो इसलिए सरकार अस्थायी खाद्यान्न पर्ची बनाकर राशन उपलब्ध करा रही है। इसके लिए 14 से 21 मई तक के आठ दिनों में नगर निगम की सफाई के चार जोन कार्यालयों पर 3651 आवेदन आ चुके हैं। इनमें जोन एक में 748, जोन दो में 863, जोन तीन में 998 और जोन चार में 1042 में आवेदन जमा हुए। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि राशन-मित्र पोर्टल के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

दबंग दुनिया 22-5-21

नालों की सफाई

रतलाम। वर्षा ऋतु के पूर्व नाले-नालियों की सफाई करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा शेरानीपुरा, कसाई मंडी, मदिना मस्जिद वेदव्यास कालोनी, कुरेशी मंडी मोमिनपुरा, जवाहर नगर, नौलाईपुरा, गांधी नगर व स्टेशन रोड विधायक कार्यालय के सामने वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह के निर्देशन में प्रारंभ किया गया।

22-5-

नई दुनिया 22-5-21

ई–पास के 5000 आवेदन में 147 को अनुमति, 1500 निरस्त

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। एक जून को अनलाक करने से पहले प्रशासन संक्रमण दर शून्य करने के लिए आवाजाही नियंत्रित कर कसावट में लगा है। इसके चलते आज से शहर में ई-पास व्यवस्था शुरू की जा रही है। शुक्रवार को ई-पास के लिए लिंक जारी होते ही आवेदन करने वालों की भी भरमार लग गई। इससे कुछ देर के लिए साइट क्रेश हो गई। कई लोगों ने अतिआवश्यक कार्य के विकल्प को चिन्हित कर आवेदन कर दिया, जिससे प्रशासकीय अमले की मशक्कत बढ़ गई।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि रतलाम शहर में 22 मई से लागू की जा रही ई-पास व्यवस्था में मेडिकल ग्राउंड पर ही पास का आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनावश्यक कार्य के लिए नागरिक आवेदन न करें। शुक्रवार दोपहर तीन बजे से पोर्टल खोला गया। शाम छह बजे तक करीब पांच हजार लोगों ने ई-पास के लिए आवेदन किया। मेडिकल [illegible] वाले 147 लोगों को शाम पास जारी कर दिए गए हैं। 1500 आवेदन ठोस कारण नहीं होने पर निरस्त किए गए हैं। शेष आवेदनों का परीक्षण कर पास जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल ग्राउंड (अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडर, स्वजन हेतु, चिकित्सकीय परामर्श, कोविड जांच, सीटी स्कैन, ब्लड जांच, एक्स-रे, सोनोग्राफी आदि की जांच, मेडिकल स्टोर से दवाई करने) हेतु ई पास प्राथमिकता के आधार पर जारी जा रहे हैं।

इन्हें पास की आवश्यकता नहीं

- 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोग अपने मोबाइल पर बुकिंग का एसएमएस दिखाकर टीकाकरण केंद्र तक आ-जा सकेंगे।
- शासकीय सेवक (राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि) विभाग के कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा। बैंककर्मी को बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक कार्य अवधि में मान्य रहेगा।
- मीडियाकर्मियों का पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- फैक्ट्री वर्कर को शहर एसडीएम कार्यालय से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे।
- प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथालाजी लैब के अमले को एसडीएम कार्यालय से आफलाइन पास लेना होगा।
- अभिभावकों को कोर्ट की निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेंगे।

बाजार में किराना दुकानों पर भीड़

23 मई से किराना सामग्री की होम डिलीवरी एवं वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं हो पाएगी। इसके चलते शुक्रवार को ही धानमंडी में थोक दुकानों पर लोग खरीदी के लिए पहुंच गए। कई खुदरा व्यापारी भी आधी शटर उठाकर सामान ग्राहकों को देते रहे।

भाजपा से भी उठे विरोध के स्वर

ई-पास की व्यवस्था का विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व पार्षद सीमा टांक ने कलेक्टर को आनलाइन अवगत कराया कि अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर आमजन पास के लिए आवेदन करेंगे या स्वजन को अस्पताल लेकर जाएंगे। नौ अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू में लोग परेशान हैं। मध्यमवर्गीय त्रस्त हैं। ई-पास के निर्णय पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

तुगलकी निर्णय बताकर कांग्रेस ने कमलनाथ को शिकायत की

शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने ई-पास सिस्टम को तुगलकी निर्णय बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर जिला प्रशासन के मनमाने निर्णय की शिकायत की है। कटारिया ने बताया कि गरीब, निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग पिछले एक माह से परेशान हैं। शहर में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही मौतों से लगता है कि प्रशासन मौत का आंकड़ा भी छुपा रहा है। आम गरीब जनता के पास ना तो एंड्रायड फोन है न इंटरनेट कनेक्शन। ऐसे में वह कैसे पास के लिए आवेदन करेगा। वर्तमान समय में कंट्रोल दुकान से तीन महीने का खाद्यान्न भी दिया जा रहा है। सभी दवाई की दुकानें, सब्जी व किराना दुकान खुली रखना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस नेत्री व पूर्व पार्षद यास्मिन शेरानी ने भी ई-पास व्यवस्था को लगत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। शेरानी ने कहा कि शहर के गरीब व मजदूर वर्ग तथा इंटरनेट की सुविधा से वंचित व्यक्ति इस जटिल प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे।

42 दिन बाद मेडिकल कालेज में 18 आक्सीजन बेड खाली

आज 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 11

वार, 22 मई, 2021

न, कई सरकारी, बैंक और उद्योगों के कर्मचारियों ने वेदन, छंटनी में उलझा प्रशासन, 147 ई-पास ही बने

ोग

वार को बड़ी संख्या न की खरीदारी करने सुबह तो पुलिस की हथियार डाल दिए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया इन कर्मचारियों को पास की जरूरत नहीं

- 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी
- राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि के कर्मचारी। विभाग पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- बैंक स्टॉफ के लिए भी बैंक द्वारा जारी आईडी मान्य होगा लेकिन सिर्फ बैंक खुलने के निर्धारित समयावधि में। इसके बाद आईडी मान्य नहीं होगी।
- मीडियाकर्मियों के लिए संस्थान का पहचान-पत्र मान्य रहेगा।
- उद्योगों के कर्मचारियों का एसडीएम कार्यालय द्वारा पहले से जारी पास मान्य होंगे।
- अभिभाषकों को कोर्ट की निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान-पत्र मान्य रहेगा।

मेडिकल ग्राउंड वालों को हार्ड कॉपी में मिलेगा ई-पास - ई-पास बनाने में मेडिकल ग्राउंड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वाले को एसडीएम कार्यालय से अलग से हार्ड कॉपी में ई-पास जारी किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्यकर्मी, मरीज अटेंडर व परिजन, चिकित्सकीय परामर्श, कोविड जांच, सिटी स्कैन, ब्लड जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि से जुड़े कर्मचारियों को प्राथमिकता से ई-पास जारी किए जाएंगे।

मैसेज दिखाना होगा

वैक्सीन लगवाने वालों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी। स्पॉट बुकिंग का मैसेज दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। शुक्रवार को बड़ी मात्रा में ऑनलाइन आवेदन आए हैं। बिना जरूरी काम वाले 1500 निरस्त हुए हैं। लोग अनावश्यक काम से आवेदन न करें। एक-दो दिन में व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी।

कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

अगले 9 दिन तक प्रशासन ने सब कुछ किया लॉक, बीमारी को हराने अब हम भी समझे अपनी जिम्मेदारी

संक्रमण दर सुधरी, अब ना बरतें लापरवाही

22-5-21

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना को खत्म करने के लिए रतलाम अब दस का दम दिखाएगा। इसके तहत अगले 9 दिनों के लिए प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। उसी के तहत इस बीमारी पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दस दिनों में रतलाम में कोरोना संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी। हालात बेहतर करने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार से अगले 10 दिनों के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से आवश्यक वस्तुओं की बहाली को छोड़कर कर सब कुछ बंद कर दिया है।

कोरोना की गति पर ब्रेक लगाने के लिए अगले 10 दिनों तक प्रशासन ने आमजन के घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ शासकीय सेवक और श्रमिक अपने कार्य के लिए उन्हें जारी किए गए पास के माध्यम से आना जाना कर सकेंगे। वहीं अन्य लोग सिर्फ आवश्यक कार्य के लिए ही तय समय सीमा के लिए डिजिटल ई-पास के माध्यम से घरों से बाहर निकल सकेंगे। ई-पास बनवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को उचित कारण भी बताना होगा तो ही पास बनाया जाएगा, नहीं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

25 से 10 प्रतिशत पर पहुंचा रतलाम

कोरोना संक्रमण को लेकर बीते एक सप्ताह से हालात में सुधार आने लगा है। रतलाम में संक्रमण की दर 25 प्रतिशत से अधिक होती थी वह घटकर अब 10 प्रतिशत के अंदर पहुंच गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम रतलाम पहुंचने के बाद उनकी विशेष प्लानिंग के माध्यम से टीमों को एक्टिवेट करके संक्रमण की रफ्तार को कम करने में सफलता तो पाई है लेकिन मौत के आंकड़े अब भी कम नहीं हो पा रहे हैं।

कोरोना कर्फ्यू-ई-पास के संबंध में दिशा निर्देश

शहर में रविवार से लागू की जा रही ई पास व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल ग्राउंड पर ही पास का आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अनावश्यक कार्य के लिए नागरिक ई पास हेतु आवेदन न करें।
रतलाम नगर में 22 मई से ई पास की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से ही पास के लिए आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किए जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक लगभग पांच हजार लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया।
मेडिकल ग्राउंड वाले 147 लोगों को शाम 6 बजे तक ई पास जारी कर दिए गए हैं। 1500 आवेदन ठोस कारण नहीं होने पर निरस्त किए गए हैं। शेष आवेदनों का परीक्षण कर पास जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल ग्राउंड (अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडर, परिजन हेतु, चिकित्सकीय परामर्श हेतु, कोविड जांच, सिटी स्कैन, ब्लड जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि की जांच हेतु, मेडिकल स्टोर से दवाई करने) हेतु ई पास प्राथमिकता के आधार पर जारी जा रहे हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनावश्यक कारणों से ई पास के लिए कोई आवेदन न करें। फैक्ट्री वर्कर को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वाले को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से ऑफलाइन पास प्राप्त करें।

आवश्यक वस्तुओं की होगी पूर्ति

प्रशासन ने आगामी 10 दिनों के लिए विशेष रणनीति तैयार की है जिसके माध्यम से संक्रमण की दर को 5 प्रतिशत से कम पर लाने का प्रयास किया जाएगा। 22 मई से एक बार फिर से बाजार में सब मिलना बंद हो जाएगा, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सेवा ही घर पहुंच रहेगी। दूध और दवा को छोड़कर हर किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि कोई बगैर ई-पास के कोई सड़क पर निकलता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

कुछ दिखा रहे समझदारी तो कुछ नासमझी

जिले में कई लोग ऐसे हैं जो कि सब कुछ जानते हुए भी नासमझ लोगों की तरह नियमों का उल्लंघन करने में अपनी शान समझ रहे हैं जिसके चलते संक्रमण की रफ्तार पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग नियमों का पूरी तरह से पालन करते भी नजर आ रहे हैं। कलेक्टर के आने के बाद शहर से लेकर गांव तक जहां पर भी कंटेनमेंट क्षेत्र बने हैं, वहां पर लोग बेवजह घरों के बाहर घूमते नजर नहीं आ रहे हैं।

31 मई के लिए कितने तैयार हम

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पहले उज्जैन फिर इंदौर में 31 मई तक कड़ाई से लॉकडाउन लागू किए जाने के साथ ही सकारात्मक परिणाम आने पर 1 जून से श्रेणीवार अनलॉक की शुरुआत के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके लिए सभी जिलों को अपनी पूरी क्षमता के साथ कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जुटना होगा। मेरा शहर, मेरा गांव और मेरा वार्ड जीरो कोरोना के संदेश के साथ संक्रमण को काबू में करने वाले जिले अनलॉक की पात्रता में आएंगे। प्रशासन के लिए अगले 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं।

पत्रिका आव्हान- आइए, हम करें अपने घर से शुरूआत

जिंदगी चलाए रखने के लिए आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों की भी दरकार है, लेकिन जीवन को असुरक्षित करने की कीमत पर नहीं, इसलिए हमें भी समझदारी दिखाना होगी। आइए, हम भी संकल्पित हों कि आने वाली 31 मई तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो, इसमें भागीदारी करेंगे। सबसे पहले खुद को नियंत्रित कर बिना वजह घर से निकलना त्यागेंगे और दूसरों से भी यही आव्हान करेंगे, ताकि वैश्विक महामारी को हराने में हमारा योगदान सकारात्मक परिणाम ला सकें।

शुक्रवार को 147 ई-पास जारी

रतलाम शहर में जिला प्रशासन द्वारा 22 मई से ई-पास पास व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए ई-पास बनाने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। कोरोना कर्फ्यू पास के संबंध में जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित सेवाओं वालों को कर्फ्यू पास नहीं बनवाने हैं, बल्कि उनके पास उपलब्ध पास मान्य रहेंगे। ऐसे में उक्त सेवाओं वाले व्यक्ति ई-पास के लिए आवेदन न करें। उनके पास उपलब्ध विभागीय पहचान पत्र मान्य रहेगा।

- शासकीय सेवक (राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि) विभाग के कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- बैंक कर्मी को बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक कार्य अवधि में मान्य रहेगा।
- मीडिया कर्मियों को मीडियाकर्मी का पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- फैक्ट्री वर्कर को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे।
- प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वाले को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से ऑफलाइन पास प्राप्त करें।
- अभिभाषकों को कोर्ट की निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- ई पास में मेडिकल ग्राउंड वालों को प्राथमिकता रहेगी
- शुक्रवार शाम 6 बजे तक 147 ई पास जारी किए गए।

रतलाम की जनसंख्या ग्वालियर से कम फिर भी यहां केस ज्यादा, संभाग में भी नंबर-1

क्योंकि...
रैपिड एंटीजन टेस्ट 9 गुना बढ़े, मई के शुरू में 0 मामले मिल रहे थे, अब 70 से ज्याद

संक्रमण दर कम हो रही लेकिन पॉजिटिव केस अब भी ज्यादा निकल रहे, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की संख्या भी ज्यादा, आपका घरों में रहना ज

भास्कर संवाददाता | रतलाम

रतलाम में संक्रमण दर धीरे-धीरे कम हो रही है... लेकिन पॉजिटिव की संख्या अभी भी कम नहीं हुई है। 150 के आसपास ही संक्रमित सामने आ रहे हैं।

चार दिनों में मिले केस में रतलाम संभाग में पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं ग्वालियर के मुकाबले भी हमारे यहां ज्यादा केस हैं इसलिए अब सख्ती बढ़ रही है... दरअसल, गली-मोहल्लों का मूवमेंट, सब्जी-फल बेचने वालों का घूमना भारी पड़ रहा है। अब भी संक्रमण हमारे आसपास मौजूद है। इधर, सैंपलिंग में बदलाव हुआ है, अब रैपिड एंटीजन टेस्ट 9 गुना तक बढ़ा दिए हैं, इसका फर्क ये पड़ा है कि मई महीने की शुरुआत में 0 पॉजिटिव मिल रहे थे लेकिन अब इसी टेस्ट से 70 से ज्यादा पॉजिटिव भी सामने आ रहे हैं। हालांकि, रैपिड एंटीजन की प्रमाणिकता पर शुरुआत से ही संशय है।

रतलाम में आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाए जाते तो संक्रमण का खतरा कम रहत

- जनसंख्या के मान से भी ग्वालियर रतलाम से बड़ा है, यहां के जिले की जनसंख्या 20.3 लाख है, हमारी 14.6 लाख है।
- ग्वालियर में सैंपलिंग बढ़ाने की जगह घटा दी है, वहां 3300 सैंपल लेने का लक्ष्य है, 15 मई तक 3788 सैंपल भी हुए, पिछले तीन दिन से औसतन 3036 सैंपल ही हो रहे, जो लक्ष्य से 9 प्रतिशत कम है। रतलाम में 21 मई को 1674 सैंपल हुए थे, जो कि आधे हैं।
- ग्वालियर में भी रैपिड एंटीजन की संख्या बढ़ी है, वहां आरटीपीसीआर के मुकाबले 3 गुना रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं।

	ग्वालियर	रतलाम
19 मई	105	160
20 मई	135	162
21 मई	105	146

आंकड़े संक्रमितों के

तीन प्रमुख कारण... रतलाम में संक्रमण दर कम हो रही

1. मूवमेंट
अब तक लॉकडाउन था, गली-मोहल्लों में सख्ती नहीं थी। फल-सब्जी वाले भी आसानी से घूम रहे थे। केस कंट्रोल करने मूवमेंट रोक रहे हैं।

2. कान्टेक्ट ट्रेसिंग
कान्टेक्ट ट्रेसिंग में लक्षण मिलने वालों की सैंपलिंग हो रही है, इनसे पॉजिटिव मिल रहे हैं।

3. टेस्ट
पहले 900 सैंपलों की जांच हो रही थी जो बढ़ाकर 1400 तक कर दी है, 40 प्रतिशत आरटीपीसीआर और 60 प्रतिशत एंटीजन ले रहे हैं।

रैपिड एंटीजन... 60 प्रतिशत ही सही परिणाम, आरटीपीसीआर है भरोसेमंद

इधर, जिले में रैपिड एंटीजन की टेस्टिंग बढ़ा दी है, यह दुखदायी भी हो सकती है, क्योंकि, रैपिड एंटीजन के परिणाम सटीक नहीं होते हैं। 60 प्रतिशत तक ही एंटीजन सटीक रहता है। वहीं आरटीपीसीआर 70 प्रतिशत तक सटीक रहता है। आरटीपीसीआर टेस्ट यदि बढ़ाए जाते हैं तो संक्रमण का खतरा कम रहता है।

पिछले पांच दिन में 800 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट

दिनांक	20 मई	19 मई	18 मई	17 मई	16 मई
टेस्ट	1084	948	959	983	885
पॉजिटिव	65	42	36	74	49

मई के शुरुआती 5 दिनों में एंटीजन

दिनांक	1 मई	2 मई	3 मई	4 मई	5 मई
टेस्ट	111	131	193	144	175
पॉजिटिव	0	0	0	0	0

3 दिन में से 2 दिन ज्यादा केस रतलाम

शहर	21 मई	20 मई	19 मई	18 मई	कुल
रतलाम	146	162	160	170	638
उज्जैन	127	197	151	154	629
मंदसौर	66	73	89	54	282
नीमच	38	10	40	47	135
आगर	38	37	38	18	131
देवास	67	64	47	90	268
शाजापुर	40	48	62	44	194

(नोट - आंकड़े प्रादेशिक बुलेटिन के मुताबिक हैं।)

अधिकारियों का तर्क - आवागमन होने से बढ़े केस, इसलिए कर रहे सख्ती

संक्रमण दर धीरे-धीरे कम हो रही है। हालांकि, केस अभी भी ज्यादा ही हैं। इसका एक कारण आवागमन भी है। इसलिए सख्ती हो रही है। लोगों से अपील है मेडिकल इमरजेंसी के अलावा घरों से ना निकलें। सैंपलिंग बढ़ा दी है, यह पूरे प्रदेश में ही बढ़ी है।
डॉ. गौरव बोरीवाल, एपेडेमियोलॉजिस्ट

रतलाम में 132 नए पॉजिटिव, कुल 16804 संक्रमित, 5 लोगों की मौत

रतलाम | जिले में कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा अभी भी 100 से ज्यादा ही बना हुआ है। शुक्रवार को 132 पॉजिटिव सामने आए हैं, इसी के साथ कुल संक्रमित 16804 हो गए हैं। हालांकि, 5 लोगों ने दम भी तोड़ा। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचल में भी मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को रात 10.45 बजे मिली रिपोर्ट में दो बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 11 व 12 साल है। वहीं, 56 महिलाएं व 76 पुरुष संक्रमित हुए हैं। इधर अभी जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा 2 हजार से ज्यादा बना हुआ है। जिले में संक्रमित कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं। शुक्रवार को भी 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए।

भास्कर 22-5-21

18 से 44 वर्ष आयु समूह का 11 स्थानों पर होगा टीकाकरण

रतलाम @ पत्रिका. जिले में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों का 22 मई को कोविड टीकाकरण के लिए 11 केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। इन केन्द्रों पर ऑनलाईन प्री स्लॉट बुकिंग कराने वाले हितग्राहियों का टीकाकरण किया जाएगा। उक्त आयु समूह अंतर्गत शासकीय कॉलेज पुलिस स्टेशन के पास आलोट, महात्मा गांधी स्कूल जेल रोड जावरा, शा. बालक हायर सेकंडरी स्कूल मंडी के सामने सैलाना, एनआरएलएम जनपद पंचायत भवन पिपलोदा, हायर सेकंडरी स्कूल नामली, सूरज हॉल वेदव्यास कॉलोनी रतलाम, गुरूनानक सिंधु भवन संत कंवराम नगर बिरियाखेडी रोड, कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर रतलाम, लायंस हॉल रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे रतलाम, मोहन टॉकीज घास बाजार रतलाम, आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर रतलाम पर कोविशील्ड का टीकाकरण किया जाएगा।जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु समूह के टीकाकरण के लिए स्लॉट बुकिंग आगामी टीकाकरण दिवस सोमवार के एक दिन पूर्व रविवार को 10 से 10.30 बजे के दौरान खुलेगी।

45 वर्ष पार के लोगों का 17 स्थानों पर होगा टीकाकरण

22/5

रतलाम. जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शनिवार को 17 स्थानों पर किया जाएगा। 22 मई को कोविड टीकाकरण सत्रों में कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों प्रकार के टीके लगाए जाएंगे।

45 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति अपना जन्म दिनांक दर्शाने वाला आईडी दिखाकर कोविशील्ड का सीधे टीका लगवा सकेंगे। कोविड संबंधी टीकाकरण सत्रों का आयोजन जिले के मांगलिक भवन मंडावल रोड खारवाकलां, पोरवाल धर्मशाला नीमचौक ताल, मांगलिक भवन जनपद पंचायत के पास बाजना, बालक छात्रावास 2 रावटी, महात्मा गांधी स्कूल जेल रोड जावरा, ग्राम पंचायत बर्डियागोयल, नगर पंचायत बडावदा, ग्राम पंचायत रिंगनोद, जनपद पंचायत पिपलोदा, शासकीय कन्या विद्यालय सुखेडा, मांगलिक भवन जूनावास मोहल्ला सैलाना, ग्राम पंचायत शिवगढ, ग्राम पंचायत सरवन, ग्राम पंचायत भवन धराड, शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल बिरमावल, आफिसर्स क्लब डीआरएम आफिस दो बत्ती रतलाम, कम्युनिटी हॉल अल्कापुरी रतलाम पर किया जाएगा। पुराना कलेक्टोरेट रतलाम पर केवल फ्रंटलाईन वर्कर्स को दूसरा टीका लगाया जाएगा। पत्रिका

पत्रिका 22-5-21

कोविड केयर सेंटर पर योग प्राणायाम भी करवा रहे

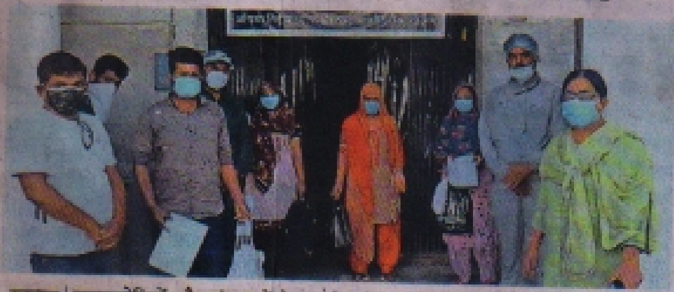

रतलाम | समाजसेवियों और संस्थाओं के सहयोग से खाचरौद रोड पर चल रहे कोविड केअर सेंटर से शुक्रवार को दो और मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इस तरह अब तक चार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सेंटर में पॉजिटिव मरीजों को योग-प्राणायाम भी करवाया जा रहा है। वहीं ओपीडी में लोगों का उपचार कर होम आइसोलेट किया जा रहा है। खुर्शीद अनवर, यास्मीन शेरानी, राजकमल जैन, प्रीतम सिंह सोढ़ी, परवेज निखार, प्रवीण रामावत ने बताया सेंटर समाजसेवियों, लायंस ऑफ रतलाम, आयशा सिद्दीकी गर्ल्स हॉस्टल कमेटी के सहयोग से चल रहा है। प्रशिक्षित डॉक्टर इलाज कर रहे हैं।

61 मरीजों को घर जाकर दी मेडिसिन किट

रतलाम | होम आइसोलेशन के 61 मरीजों को शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने घर जाकर मेडिसिन किट दी। शुक्रवार को ई-दक्ष केंद्र से 80 मरीजों की सूची मिलने के बाद निगम ने जिला अस्पताल के स्टोर से मेडिसिन किट ली थी। वितरण के दौरान 61 मरीज घर पर मिल गए, जबकि 3 उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती थे। चार मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर के निकले। 6 के पते और मोबाइल नंबर गलत निकले। बाकी 6 को पहले से किट मिल चुकी थी। इसके अलावा वार्ड वार दलों ने 103 किट मरीज के परिजन को भी दी।

त्रिकूट चूर्ण (काढ़ा) का निशुल्क वितरण- रतलाम | संक्रमण से बचाने में कारगर त्रिकूट चूर्ण (काढ़ा) का संस्था समाधान निःशुल्क वितरण कर रही है। संस्था प्रमुख पिंकेश मेहरा, नगर अध्यक्ष विकास छाजेड़ अब तक हजारों पैकेट बांट चुके हैं। शुक्रवार को वकीलों के लिए 100 से ज्यादा पैकेट वकील राकेश शर्मा, भरत निगम, वीरेंद्र पाटीदार, महेश मकवाना, देवेंद्र, वर्षा देवड़ा, हेमंत शर्मा की उपस्थिति में दिए। आशीष डागा, अमन जैन, राजेश मंडोरा, अश्वनी दीक्षित, नितिन शर्मा, गौरव शर्मा, रोहित पंवार, गौरव शर्मा, संजय ओझा आदि मौजूद रहे।

पत्रिका 22-5-

सर्वानंद बाजार सात दिन के लिए सील, प्रकरण दर्ज

पीछे से ग्राहकों को अंदर बुलाकर बेच रहे थे सामान, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना कर्फ्यू में जरूरी सामान की होम डिलीवरी ही की जा रही है, लेकिन किराना व अन्य दुकानदार अभी भी ग्राहकों को दुकान में बुलाकर सामान बेच रहे हैं।

शुक्रवार को न्यू रोड स्थित सर्वानंद बाजार में ग्राहकों को पिछले हिस्से से अंदर बुलाकर सामान बेचे जाने की सूचना पर प्रशासन के अमले ने कार्रवाई कर सर्वानंद बाजार को सात दिन के लिए सील कर स्टेशन रोड थाने पर धारा 188 में प्रकरण भी दर्ज कराया। माल संचालक से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

प्रशासन के दल के पहुंचने पर सर्वानंद बाजार से बाहर निकलते हुए ग्राहक। • नईदुनिया

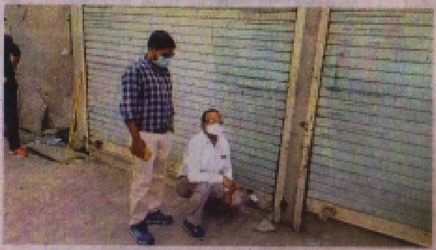

लाकडाउन का उल्लंघन करने पर सर्वानंद बाजार सील करते दल के सदस्य। • नईदुनिया

शुक्रवार करीब तीन बजे नायब तहसीलदार कैलाश डामर, पटवारी अर्जुन गौड़ की टीम सर्वानंद बाजार के रणजीत पुलिस लाइन वाले पिछले हिस्से में पहुंची तो वहां शटर बंद था। टीम ने शटर खुलवाकर अंदर प्रवेश किया तो कई ग्राहक सामान लेते नजर आए।

ग्राहकों को तीसरे फ्लोर पर भेज दिया

कार्रवाई की सूचना मिलते ही अंदर सामान खरीद रहे कई ग्राहकों को संचालक ने तीसरे फ्लोर पर भेज दिया था। बाद में किसी ने बुजुर्ग होने तो किसी ने जरूरी खरीदी का हवाला दिया और वहां से चले गए। यहां लंबे समय से पिछले दरवाजे से ही सामान बेचा जा रहा था। नायब तहसीलदार डामर ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देशों के मान से कार्रवाई कर सात दिन के लिए सर्वानंद बाजार को सील कर प्रकरण दर्ज कराया गया है।

बेवजह घूमने वाले 60 लोगों को पकड़ा

शुक्रवार को पुलिस ने शहर में बेवजह घूमने वाले 60 लोगों को पकड़ा और कार्रवाई की। रात में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च कर बाहर घूम रहे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी। 22 मई से ई-पास व्यवस्था लागू होने के बाद सख्ती बढ़ाने की तैयारी की गई है।

10 दिन घर में रहेंगे तो अनलाक होगा

एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि संक्रमण का खतरा होने के बावजूद कई लोग दिनभर बेवजह घूमते रहते हैं। यदि दस दिन घर में रहे तो एक जून से अनलाक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं तो कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाने की स्थिति आ सकती है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सभी को सहयोग करना होगा।

नई दुनिया 22-5-21

निकाय बेच भी सकेंगे संपत्ति, 50 करोड़ से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी का फैसला सरकार करेगी

भोपाल | नगरीय निकाय अब अपने स्वामित्व वाली संपत्ति बेच भी सकेंगे। नए नियमों के अनुसार संपत्ति के मूल्य के आधार पर निकाय परिषद से लेकर राज्य सरकार को उसे बेचने का अधिकार होगा। प्रॉपर्टी को पट्टे या दान पर भी दिया जा सकेगा, उसे बंधक भी रखा जा सकेगा। पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम या नगर पालिका में 50 करोड़, पांच लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम या नगर पालिका में 10 करोड़ और नगर परिषद में पांच करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति के बारे में सरकार को ही फैसला लेने का अधिकार होगा।

भास्कर 2 22 5

भास्कर 22-5-21

42 दिन बाद मेडिकल कालेज में 18 आक्सीजन बेड खाली

सुखद खबर ● सुधरने लगे हालात, शुक्रवार को 46 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, 33 नए भर्ती

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है। इसका असर मेडिकल कालेज में भी दिखने लगा है। नौ अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू लगने के 42 दिन बाद शुक्रवार को कालेज में 18 आक्सीजन बेड खाली रहे। कोरोना की दूसरी लहर में यह पहला मौका है जब आक्सीजन बेड खाली रहे हों। संक्रमण दर कम होने से अब आक्सीजन की मांग भी घट गई है। मेडिकल कालेज के कोविड हास्पिटल से शुक्रवार को 46 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।

कालेज के डीन डा. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि 33 नए मरीज भर्ती हुए। कुल 550 बेड में से आइसीयू के सभी 56 बेड, एचडीयू में 172 बेड फुल हैं। आक्सीजन के 180 बेड में 162 पर मरीज हैं। नान आक्सीजन के 142 बेड में से 17 पर मरीज भर्ती हैं। कुल 404 मरीजों में 271 पाजिटिव तथा शेष सस्पेक्टेड या आक्सीजन लेवल वाले हैं। हास्पिटल में रिक्त बेड 146 हैं। अब तक मिले 6856 रेमडेसिविर इंजेक्शन में से 1557 वितरित किए गए, जबकि 5162 का अस्पताल के मरीजों के लिए उपयोग किया गया। करंट स्टाक 137 है।

कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर आ रहे लोग, 12 पर प्रकरण दर्ज

कंटेनमेंट क्षेत्र में निवासरत लोग लगातार बाहर निकलकर गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में कंटेनमेंट क्षेत्र का उल्लंघन न करें। कंटेनमेंट क्षेत्रों की निगरानी कर उल्लंघन करने वालों प कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया।

कलेक्टर ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे संक्रमण को रोकने में अपनी भूमिका को समझें और किसी भी तरह का उल्लंघन न करें।

सैलाना रोड पर बंजली स्थित शासकीय मेडिकल कालेज का मुख्य द्वार। ● नईदुनिया

21वें दिन 340 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे

मई माह के 21वें दिन शुक्रवार को 132 नए पाजिटिव केस सामने आए। पांच की मौत हुई। 340 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2531 है। जिले में अब तक 16804 पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 13987 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का कुल आंकड़ा 286 पर पहुंच गया है।

मास्क और वैक्सीन ही कोरोना संक्रमण का सुरक्षा कवच है। हमें कोरोना संक्रमण से बचना है तो घर से निकलने से पहले मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। बिना कारण के घर से बाहर नहीं निकलें। नंबर आने पर टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लगवाएं।

– प्रेमचंद भंडारी, समाजसेवी, आलोट

कोरोना आपदा के समय में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमेशा मास्क पहनें। दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन, पानी से धोएं। निडर होकर टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाएं। **– समकित कोठारी, अकाउंटेंट, रतलाम**

हमें कुछ सावधानियां जैसे सार्वजनिक बस, ट्रेन, आटो या टैक्सी से अभी फिलहाल यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आप संक्रमित इलाके में रह रहे तो कंटेनमेंट से बाहर नहीं निकलें। हाथों को बार-बार सैनिटाइज करते रहें व दो गज की दूरी का पालन करें। **– मुस्कान बाफना, छात्रा, सुगनश्री कालोनी जावरा**

कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच करवाएं। जब भी जरूरी काम होने पर बाजार में आएं तो नियमों का पालन कर कोरोना की चेन तोड़ने में सहयोग करें। **– अनिल कुमावत, सचिव ग्राम पंचायत ढोढ़िया**

जितनी जल्दी हो वैक्सीन लगवा लें। यह वक्त इंसानियत को प्राथमिकता देने का है। प्रशासन को जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। कोरोना संक्रमण काल में दूरी बनाकर अपना कार्य करें। भीड़ में जाने से बचें। **– मुकेश पेंटर, ग्राम धराड़**

गांव में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। ग्रामपंचायत को शासन की गाइड-लाइन का क्षेत्र में कड़ाई से पालन करना चाहिए। मास्क लगाकर दो गज की दूरी का पालन करें। समय पर टीके लगवाएं व अन्य को भी प्रेरित करें। **– दिलीपसिंह गेहलोत, ग्राम सिमलावदा**

टीकाकरण हमारे और परिवार के साथ ही देश के लिए बहुत आवश्यक है। मैं नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि वह भी टीका लगवाने आगे आएं और इस महामारी को हराने में अपना सहयोग दें। **– हर्षील खिमेसरा, वस्त्र व्यापारी, बजाज खाना, जावरा**

यह देखने में आ रहा है कि कोरोना पाजिटिव लोग कंटेनमेंट तोड़ने से नहीं चूक रहे हैं। कोरोना संक्रमण जानलेवा है फिर भी कंटेनमेंट का महत्व नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए **– सुभाष टुकड़िया, पूर्व नगर महामंत्री भाजयुमो, सोमवारिया जावरा**

राज्य सरकार को ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार निःशुल्क करवाना चाहिए। साथ ही कोरोना वैक्सीन की कमी को शीघ्र दूर किया जाए। कोरोना कर्फ्यू के नियम का पालन नहीं करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। **– विमल बरैया, व्यवसायी, हंगामा चौक-पीपली बाजार जावरा**

शासन द्वारा जारी गाइड-लाइन का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जब तक हम कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम इसका शिकार होते रहेंगे। समय आने पर टीका भी लगवाएं। **– कपिल जांगलवा, युवा व्यवसायी, आलोट**

आज 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 11 स्थानों पर टीकाकरण

रतलाम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि जिले में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को 22 मई को 11 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा।

इसमें शासकीय कालेज पुलिस स्टेशन के पास आलोट, महात्मा गांधी स्कूल जेल रोड जावरा, शासकीय बालक हायर सेकंडरी स्कूल मंडी के सामने सैलाना, एनआरएलएम जनपद पंचायत भवन पिपलौदा, हायर सेकंडरी स्कूल नामली, सूरज हाल वेदव्यास कालोनी रतलाम, गुरुनानक सिंधु भवन संत कंवरराम नगर विरियाखेड़ी रोड, कम्युनिटी हाल जवाहर नगर, लायंस हाल रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे, मोहन टाकीज घास बाजार, आइएमए हाल राजेंद्र नगर रतलाम पर कोविशील्ड का टीकाकरण किया जाएगा।

45 वर्ष से अधिक वालों को दूसरा टीका लगेगा

शनिवार को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में केवल दूसरा टीका फ्रंट लाइन वर्कर को 18 स्थानों पर लगाया जाएगा। किसी भी स्थल पर पहला टीका नहीं लगाया जाएगा।

आज से ई-पास जरूरी, गुस्सा और विरोध भी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

लॉकडाउन को सख्ती करने के लिए शनिवार से लागू होने वाली ई-पास व्यवस्था ने शुक्रवार को घर, बाजार से लेकर कलेक्टोरेट तक जबरदस्त हलचल मचा कर रख दी। नई व्यवस्था का पता चलने के बाद गुरुवार शाम से लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश शुरू कर दी थी। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से लिंक खुली तो महज तीन घंटे यानी शाम 6 बजे तक ही 5000 एप्लीकेशन आ गई। इनमें 1500 बिना जरूरी काम वाली थी, जिन्हें निरस्त कर दिया गया। बाकी की जांच चल रही है। इसमें भी पास बनाने वाले जिम्मेदारी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल पहले से पास बने होने के बावजूद कई सरकारी, बैंक, उद्योगों और आवश्यक कार्य में लगे व्यक्तियों ने भी आवेदन कर दिए हैं। ऐसे आवेदनकर्ताओं की संख्या 15 से 17 फीसद बताई जा रही है। अब अफसर ऐसे फॉर्म की छंटनी कर रहे हैं। इसके चलते शुक्रवार को 147 ई-पास ही जारी हो पाए। प्रशासन शहर में 22 मई से ई-पास व्यवस्था लागू करने जा रहा है। ई-पास को लेकर शहर में कांग्रेस ही नहीं भाजपा के लोगों में भी गुस्सा देखा गया।

तीन घंटे में 5000 एप्लीकेशन, कई पास बने होने पर भी किए आवेदन, ध

खरीदारी के लिए सड़कों पर बड़ी तादाद में निकल आए लोग

शनिवार से लागू की जा रही ई-पास सहित अन्य पाबंदियों के चलते शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग निकल आए। इनमें से अधिकांश किराना व अन्य आवश्यक सामान की खरीदारी करने वाले थे क्योंकि किराना सामान की होम डिलीवरी भी बंद कर दी गई है। सुबह तो पुलिस की सख्ती से फिर भी लोग कम निकले लेकिन दोपहर होने तक जवानों ने भी हथियार डाल दिए।

ई पास : 3 घंटे में 5 हजार ने किया आवेदन, 147 को जारी

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर में आज से लागू की जा रही ई पास व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट किया है कि मेडिकल ग्राउंड पर ही पास का आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनावश्यक कार्य के लिए नागरिक ई पास हेतु आवेदन न करें।

ई पास में मेडिकल ग्राउंड वालों को प्राथमिकता, अनावश्यक कार्य वाले से आवेदन न करने की अपील

शुक्रवार दोपहर 3 बजे से ही पास के लिए आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किए जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक लगभग पांच हजार लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया। मेडिकल ग्राउंड वाले 147 लोगों को शाम 6 बजे तक ई पास जारी कर दिए गए हैं। 1500 आवेदन ठोस कारण नहीं होने पर निरस्त किए गए हैं। शेष आवेदनों का परीक्षण कर पास जारी करनें की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल ग्राउंड (अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडर, परिजन हेतु, चिकित्सकीय परामर्श हेतु, कोविड जांच, सिटी स्कैन, ब्लड जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि की जांच हेतु, मेडिकल स्टोर से दवाई करने) हेतु ई पास प्राथमिकता के आधार पर जारी जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनावश्यक कारणों से ई पास के लिए कोई आवेदन न करें।

22-5-21

कोरोना कर्फ्यू पास के संबंध में जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित सेवाओं वालों को कर्फ्यू पास नहीं बनवाने हैं, बल्कि उनके पास उपलब्ध पास मान्य रहेंगे। शासकीय सेवक (राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि) विभाग के कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा। बैंककर्मी को बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक कार्य अवधि में मान्य रहेगा। मीडियाकर्मियों को मीडियाकर्मी का पहचान पत्र मान्य रहेगा। फैक्ट्री वर्कर को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वाले को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से ऑफलाइन पास प्राप्त करें। अभिभाषकों को कोर्ट की निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।

कंटेनमेंट उल्लंघन करने वाले 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निवासरत लोगों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में कंटेनमेंट क्षेत्र का उल्लंघन न करें। उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं उन क्षेत्रों की बराबर निगरानी की जा रही है। कंटेनमेंट क्षेत्र का उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे संक्रमण को रोकने में अपनी भूमिका को समझें और किसी भी तरह का उल्लंघन न करें। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कारण से घर से बाहर न निकले। विशेषकर गली, मोहल्लों, कॉलोनियों में समूह बनाकर बैठने और घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इन सभी का भी नागरिक ध्यान रखें। उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर में शुक्रवार को कंटेनमेंट क्षेत्र का उल्लंघन करने पर 12 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र का उल्लंघन करने पर प्रशासन के दल द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

रतलाम, मंदसौर और नीमच के लिए अलग से कोविड बॉयोमेडिकल वेस्ट संग्रहण के चल रहे हैं दो वाहन

कोविड वेस्ट: लापरवाही न बन जाए मौत का कारण

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पूरी सतर्कता के बाद भी कतिपय लोग फेंक रहे हैं कोविड वेस्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोग आने वाले मेडिकल उपकरणों, इंजेक्शन, पीपीई कीट, मास्क और अन्य वस्तुएं जो संर मित होती है उन्हें बड़ी सावधानी से इंसीनेटेड करने की आवश्यकता होती है लेकिन आम जनता को इसकी समझ कम होने या कुछ लापरवाही की वजह से इन्हें इधर-उधर फैंक दिया जाता है। कुछ लोग अपने मास्क, पीपीई कीट को कचरा घर में या कूड़ा स्थल पर फेंक रहे हैं। हालांकि सरकारी और निजी अस्पतालों से कोविड बायोमेडिकल वेस्ट को बंजली बायपास स्थित बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दो वाहनों के जरिये रतलाम के साथ ही मंदसौर और नीमच से संग्रहित किया जा रहा है। तीनों ही जिलों के जिला अस्पताल के साथ ही कोविड केयर सेंटरों से डेढ़ सौ से दो सौ किलो कोविड बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है।

नगर निगम ने भी लगाए कोविड वाहन

नगर निगम ने कंटेनमेंट क्षेत्र से निकलने वाले कोविड बायोमेडिकल वेस्ट को संग्रहित करने के लिए दो वाहनों को लगाया है। ये वाहन हर दिन कंटेनमेंट क्षेत्र में जाकर कोविड बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहित कर रहे हैं। नगर निगम के इस प्रयास के बाद भी कतिपय लोग नालियों में या कहीं अन्य जगह मास्क आदि फैंक देते हैं। जिला अस्पताल के कचरा अड्डे पर तो कई बार कोरोना मरीजों के दाह संस्कार स्थल भक्तन की बावड़ी श्मशान घाट में आए दिन पीपीई कीट और मास्क पड़े हुए मिलते रहते हैं।

हर कचरा वाहन में अलग डिब्बा

नगर निगम ने शहरभर से कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों के पीछे एक अलग से डिब्बा लगाया हुआ है। इस डिब्बे में घर से निकलने वाला घरेलू सैनेटरी वेस्ट को संग्रहित किया जाता है। कोरोना काल में कचरा गाड़ी में एक प्लास्टिक की थैली भी दी हुई है जिसमें यदि आवश्यकता होती है तो इसमें कोविड बायोमेडिकल वेस्ट को संग्रहित कर लाया जाता है। निगम के कचरा वाहनों पर तैनात कर्मचारियों को भी यह स्पष्ट निर्देश है कि वे कोविड बायोमेडिकल वेस्ट को इस थैली में संग्रहित करें।

चार कंटेनर में संग्रहित होता है यह

पीला कंटेनर - अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट में रक्त से सनी पट्टियां, पस, अंगों के टूकड़े आदि संग्रहित किए जाते हैं।

रेड कंटेनर - अस्पताल के मरीजों की सलाइन, आईवी सेट, कैथेट्रल, न्यूरो बैग, प्लास्टिक और रबर के मटेरियल आदि संकलित किए जाते।

ब्लू कंटेनर - कांच के टूकड़े, वायल्स, एंपुल, वायल पर लगे एल्युमिनीयम के रैपर, मरीजों के शरीर से निकलने वाले इम्प्लांट आदि रखे जाते।

सफेद कंटेनर - शार्प निडिल, सर्जिकल ब्लेड्स और सीरिंज की कटी हुई निडिल जो कटर से काटी जाती है वे रखी जाती है।

संग्रहित किया जाने वाला कोविड बायोमेडिकल वेस्ट

दिनांक	कोविड बायोमेडिकल वेस्ट	इंसेनेटेड
11 मई	144.300 किलो	144.300 किलो
12 मई	143.400 किलो	143.400 किलो
13 मई	170.600 किलो	170.600 किलो
14 मई	163.300 किलो	163.300 किलो
15 मई	203.600 किलो	203.600 किलो
16 मई	186.100 किलो	186.100 किलो
17 मई	208.800 किलो	208.800 किलो
18 मई	228.400 किलो	228.400 किलो
19 मई	180.800 किलो	180.800 किलो

मंदसौर और नीमच के कोविड केयर सेंटरों से कोविड बायोमेडिकल वेस्ट का अलग से संग्रहण करने दो वाहनों की व्यवस्था की गई है। दूसरा मेडिकल वेस्ट लाने के लिए तीन अलग वाहन है। हर दिन डेढ़ से दो सौ किलो कोविड बायोमेडिकल वेस्ट तीनों ही जिलों से निकल रहा है। नगर निगम से भी 40-50 किलो कोविड बायोमेडिकलल वेस्ट मिल रहा है है। मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है तब से वेस्ट अलग से उठाया जा रहा है। **- दीपेश नाबर,** मैनेजर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रतलाम

कोविड बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहित करने के लिए अलग से दो वाहन नगर निगम ने लगाए हैं। शहर के वार्डों से कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों के कर्मचारियों को भी एक-एक प्लास्टिक की थैली दी गई है जिसमें जरुरत होने पर वे कोविड बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहित कर रहे हैं। **- एपी सिंह,** प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम

पत्रिका 22-5-21

ई-पास के लिए पहले ही दिन आए 5 हजार से ज्यादा आवेदन

लोग ही नहीं प्रशासनिक अमला भी वैरिफिकेशन में होने लगा परेशान

दबंग रिपोर्टर
■ रतलाम

जिला प्रशासन द्वारा 22 मई से ईपास व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश के बाद से ही शहर में गफलत की स्थिति बन रही है। 21 मई को लिंक ओपन होते ही प्रशासन के पास पास बनाने के लिए 3500 से अधिक लोगों के आवेदन आ गए। जबकि बड़ी संख्या में आम लोग और शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भी पास बनवाने या नहीं बनवाने को लेकर परेशान होते रहे।

जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित सेवाओं वालों को कर्फ्यू पास नहीं बनवाने हैं, बल्कि उनके पास उपलब्ध पास मान्य रहेंगे।

- इसमें शासकीय सेवक (राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे) ि के कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- बैंक कर्मी को बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक कार्य अवधि में मान्य रहेगा।
- मीडिया कर्मियों को मीडियाकर्मी का पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- फैक्ट्री वर्कर को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे।
- प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वाले को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से ऑफलाइन पास प्राप्त करें।
- अभिभाषकों को कोर्ट की निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।
- जिला प्रशासन ने कहा है कि उक्त सेवाओं वाले व्यक्ति ई पास के लिए आवेदन न करें। उनके पास उपलब्ध विभागीय पहचान पत्र मान्य रहेगा।

आज से शहर में सिर्फ ई-पास पर ही आवगमन पर छूट

शहर में शनिवार से बेवजह घूमने पर सख्ती शुरू हो गई है। आज से ई-पास वालों को ही आवगमन में छूट मिलेगी। शुक्रवार को ई पास व्यवस्था लागू होने के पहले ही शहर के बाजारों में दुकानदार और लोग लापरवाही करते नजर आए। धान मंडी, माणक चौक और राम मंदिर क्षेत्रों में लोग किराना सामग्री खरीदने के लिए भीड़ लगाते नजर आए। रतलाम के धान मंडी क्षेत्र में कई दुकान और गोडाउन पर लोग किराना सामग्री खरीदने के लिए पहुंचे। जिससे इस क्षेत्र में सामान्य दिनों जैसा नजारा दिखाई दिया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने आम जनता से 10 दिनों तक सख्त लॉकडाउन का पालन करने और घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की थी। इसके लिए नई ई पास व्यवस्था भी रतलाम में लागू की गई, जिसके तहत आवश्यक कार्य होने पर लोग ई पास बनवाकर ही घरों से बाहर निकल पाएंगे।

दबंग दुनिया 22-5-21

ई पास में मेडिकल ग्राउंड वालों को प्राथमिकता रहेगी

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि मेडिकल ग्राउंड पर ही पास का आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल ग्राउंड (अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडर, परिजन हेतु, चिकित्सकीय परामर्श हेतु, कोविड जांच, सिटी स्कैन, ब्लड जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि की जांच हेतु, मेडिकल स्टोर से दवाई करने) हेतु ई पास प्राथमिकता के आधार पर जारी जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनावश्यक कारणों से ई पास के लिए कोई आवेदन न करें। अनावश्यक कार्य के लिए नागरिक ई पास हेतु आवेदन न करें।

3 घंटे में आए 5 हजार आवेदन

शुक्रवार दोपहर 3 बजे से ही पास के लिए आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किए जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक लगभग पांच हजार लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया। मेडिकल ग्राउंड वाले 147 लोगों को शाम 6 बजे तक ई पास जारी कर दिए गए हैं। 1500 आवेदन ठोस कारण नहीं होने पर निरस्त किए गए हैं। शेष आवेदनों का परीक्षण कर पास जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

दबंग दुनिया 22-5

अनावश्यक बाहर निकलने वालो की खैर नहीं

रतलाम में पहले से अधिक सख्त होगा लॉकडाउन

रतलाम। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अब जिला और पुलिस प्रशासन ने ज्यादा सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। अब कोई भी व्यक्ति बगैर पास के घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। पास बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की जा रही है। ज्ञातव्य है कि बुधवार को उज्जैन संभाग के सभी जिलों की समीक्षा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले 11 दिन विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम की मंशा प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की है। उन्होंने संकेत दिया है कि इसकी शुरुआत उज्जैन संभाग के जिलों से होगी। इसके लिए सीएम ने कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों को शून्य पर लाने की चुनौती संभाग के जिला अधिकारियों और नागरिकों को दी है।

ने कहा है कि अब अगले कुछ दिन ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा अब कोई भी व्यक्ति बिना पास के घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। यह व्यवस्था अगले एक-दो दिन में शुरू हो जाएगी। लोगों को पास बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन पास जनरेट होने पर उसे आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया घर से बाहर निकलने पर पुलिस और प्रशासन को यह पास दिखाना होगा। पास नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि 1 जून से स्थिति सामान्य हो जाए तो इसके लिए कुछ दिन सख्ती का पालन करना जरूरी है।

होनी चाहिए वह अभी नजर नहीं आ रही है। देखने में आया है कि लोग मॉर्निंग और इवनिंग वाक के नाम पर तो कोई अस्पताल में मरीजों के अटेंडर के नाम पर बेवजह घूम रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को पास कर्तव्य स्थल पर आने जाने के लिए जारी किया गया है लेकिन वह उसकी आड़ में बाजारों में आ-जा रहे हैं। फल और सब्जी तथा किराना आदि सामान की होम डिलीवरी की व्यवस्था है लेकिन फिर भी लोग इन सबके लिए बाजार जा रहे हैं। ठेलागाड़ी और सिर पर उठाकर सब्जी बेचने वाले भी सक्रिय हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निरंतर चालानी कार्रवाई हो रही है। यह सख्ती बढ़ाई जा रही है। जो भी व्यक्ति अब बिना पास के अथवा पास में निर्धारित कार्य के अलावा घूमता नजर आएगा तो उसके खिलाफ धारा 188 में प्रकरण

पत्रिका 22-5-21

आवेदन 3 हजार से अधिक, मंजूर 300 मात्र

पात्रता पर्ची के आवेदन में हो रहा खेल

रतलाम @ पत्रिका. खाद्यात्र पर्ची हेतु नगर निगम के झोन कार्यालयों पर आवेदन लिये जा रहे हैं। अब तक पात्रता पर्ची हेतु 3700 नागरिकों ने आवेदन जमा कराए हैं। इसके विपरीत मंजूर मात्र 350 आवेदन किए गए हैं।

निगम के झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान भवन व झोन क्रमांक 4 हरमाला सम्पवेल भवन पर सुबह 8 बजे से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदन लिये जा रहे हैं। हितग्राहियों हेतु आवेदन की व्यवस्था झोन कार्यालयों पर की गई है। हितग्राही कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन कर व मास्क लगाकर को अपने साथ समग्र आईडी, आधार कार्ड व 24 श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के दस्तावेज की छाया प्रति साथ में लावें।

अब तक आए इतने आवेदन
निगम के झोन क्रमांक 1 पर 641
झोन क्रमांक 2 पर 815
झोन क्रमांक 3 पर 926
झोन क्रमांक 4 पर 954

सरकार ने समाज के समग्र कमजोर वर्ग के लिए अनिवार्य राशन की बेहतर योजना दी है, लेकिन दस्तावेज की आड़ लेकर ...नकरके अधिकारी आमजन को परेशान कर रहे है। जब सबकुछ बंद है तो कोई फोटोकॉपी किस तरह से करवाएगा।

- राजेंद्रसिंह लुनेरा,
जिलाध्यक्ष भाजपा

फोटोकॉपी की दुकान बंद है तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके रास्ता निकाला जाएगा। जो आवेदन मात्र इसलिए खारिज हुए क्योंकि फोटोकॉपी नहीं है, उनकी समीक्षा की जाएगी। **- सोमनाथ झारिया,**
आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 22-5-21

आवेदन करने, अंतिम तारीख 31 मई तय

खाद्यान्न पर्ची बनाने पंचायत-निकाय स्तर पर चलेगी ड्राइव

पत्रिका 22-5

भोपाल. गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न पर्ची बनाने पंचायत और निकाय स्तर पर ड्राइव चलाया जाएगा। हितग्राहियों को जोन व पंचायत कार्यालयों में जाकर आधार और यूआइडी नम्बर देना होगा। घोषणा-पत्र भी देना होगा कि उसके पास पात्रता संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। तीन माह के लिए अस्थाई पर्ची जारी की जाएगी। इससे हितग्राही को पांच माह का राशन मिलेगा। प्रपत्र उपलब्ध करवाने पर स्थाई पर्ची भी जारी हो जाएगी। हितग्राहियों के आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई तय की गई है। पर्ची की सूचना मोबाइल नंबर पर एसएमएस से दी जाएगी।